

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हुए

राजस्व आवेदन संख्या 37/2020 अनवान पूनमाराम बनाम चैनाराम

22/11/20

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपरिथत। आज अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 805/595 रकबा 05.04 बीघा खसरा संख्या 808/595 रकबा 58.04 बीघा व मौजा लोल्टी हाईट (बड़ा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 788/553 रकबा 17.18 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 805/595 रकबा 05.04 बीघा खसरा संख्या 808/595 रकबा 58.04 बीघा व मौजा लोल्टी हाईट (बड़ा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 788/553 रकबा 17.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

जज उण्डखा तहसील

बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/

2848

दिनांक - 22/12/20

प्रार्थी
1 पूनमाराम पुत्र
रेखाराम जाति जाट
निवासी लोल्टी हाईट,
उण्डखा तहसील व
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चैनाराम 2 कलाराम 3 चुतराराम पिसरान रेखाराम 4 भगाराम
5 ठाकराराम 6 नारणाराम पिसरान दीपाराम 7 जेठीदेवी पत्नी
दीपाराम 8 रामाराम पुत्र भूराराम 9 सोनीदेवी पत्नी भूराराम जाति
जाट निवासी आदर्श उण्डखा 10 मुकाराम पुत्र मजनाराम 11
लक्ष्मण 12 किशनाराम पिसरान मेहराजराम 13 भोमाराम पुत्र
आईदानराम जाति जाट निवासी महाबार 14 वीरमाराम 15
आदूराम 16 गणेश कुमार पिसरान आम्बाराम 17 पेमाराम पुत्र
पूनमाराम 18 हेमाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी लोल्टी
हाईट, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 37/2020 दिनांक—

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 805/595 रकबा 05.04 बीघा खसरा संख्या 808/595 रकबा 58.04 बीघा व मौजा लोल्टी हाईट (बड़ा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 788/553 रकबा 17.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 2858 - 2852

दिनांक- 22/12/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पूनमाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी लोल्टी हाईट, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी चैनाराम पुत्र रेखाराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर